U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
12th Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
यू0 पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14. अशोक मार्ग, लखनऊ. 226001
CIN-U31901UP1985SGC007135

संख्याः I/62588/2026PAUPRV-HR0REFO(R035)/1/2025 Comp. No. 48925
दिनांकः 19-08-2026

कार्यालय ज्ञाप

यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दसवीं (10 वीं) बैठक दिनांक 16.06.2025 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में निर्गत का0ज्ञा0सं0: 166/उनिलि/रिफॉर्म/R-035(Incentive Policy for Higher Education) दिनांक 14.11.2025 द्वारा निगम के नियमित कार्मिकों हेतु **"उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना (Incentive Policy for Higher Education)"** लागू की गयी है। उक्त कार्यालय ज्ञाप में उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना के अन्तर्गत प्रायोजित कार्मिक को अध्ययन पूर्ण करने की तिथि से 05 वर्ष तक निगम में सेवा करने की अनिवार्यता प्राविधानित है।

ii. का0ज्ञा0सं0: 166/उनिलि/रिफॉर्म/R-035(Incentive Policy for Higher Education) दिनांक 14.11.2025 के बिन्दु सं0-5 में उल्लिखित शर्तों में उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना के अन्तर्गत प्रायोजित कार्मिकों हेतु निगम द्वारा **वहन/प्रायोजित** की गयी कुल धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि इस नीति के अन्तर्गत अध्ययन पूर्ण करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के भीतर निगम की सेवा छोड़ने पर/पदच्युत अथवा उच्च शिक्षा की परीक्षा में असफल (Fail) होने पर अथवा किसी पारिवारिक/अन्य कारणों से पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़कर जाने की स्थिति में निगम द्वारा **वहन/प्रायोजित की गयी कुल धनराशि** के अन्तर्गत शिक्षण संस्थान को भुगतान की गयी समेकित फीस के साथ-साथ सम्बन्धित कार्मिक को अध्ययन अवधि के दौरान निगम द्वारा भुगतान किया गया सम्पूर्ण वेतन एवं भत्ते की प्रत्यास्ति किया जाना अनिवार्य होगा।

अध्यक्ष

संख्याः I/62588/2026PAUPRV-HR0REFO(R035)/1/2025 Comp. No. 48925 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का० प्रबं० एवं प्रशा०/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), यू०पी०

राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।

3. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक(अनपरा/ओबरा/पारीक्षा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र/सोनभद्र/झांसी/कानपुर/अलीगढ़/एटा।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/पी०पी०एम०एम०/वाणिज्य/ईधन/आर० एण्ड एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव परियोजना/न्यू कोल ब्लॉक यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), प्रगति इकाई, यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस०एल०डी०सी० परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०)/मुख्य अभियन्ता (परि० एवं अनु०), जल विद्युत स्कन्ध, यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-01/03/04/05/06/रिफॉर्म/टा०वा०से०/प्रशिक्षण), उ०नि०लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०-02/औ०सं०/वित्त/लेखा), उ०नि०लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस०एल०डी०सी० परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. कट फाइल।

आज्ञा से,

19/08/2026

(आर0 के0 मिश्र)

अधिशासी अभियन्ता (रिफॉर्म)